राधेश्याम बनाम राज्य सरकार व अन्य
प्रकरण संख्याः— 148/2022(प्रा0पत्र)
आदेश दिनांकः—03/01/2025

निर्णय बइजलास अर्चना चौधरी, सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी देवगढ़ जिला राजसमन्द (राजस्थान)

प्रकरण सख्या :— 148/2022 प्रार्थनापत्र
दायर दिनांक :— 26/04/2022
निर्णय दिनांक :— 03/01/2025

अनवान

1 राधेश्याम प्रजापत पिता प्रभु जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी नीमझर तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द।

प्रार्थी

बनाम

1 राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार देवगढ़ जिला राजसमन्द
2 गंगा पुत्री कस्तुर जाति कुम्हार आयु वयस्क निवासी नीमझर तहसील देवगढ जिला राजरामंद
3 गहरीलाल पुत्र भूरा जाति कुम्हार आयु वयस्क निवासी नीमार तहसील देवगढ जिला राजरामंद
4 चतरू पुत्र श्रीराम जाति कुम्हार आयु वयस्क निवासी नीमार तहसील देवगढ जिला राजसमंद
5 ज्योति पुत्री लछमण जाति कुम्हार (प्रजापति) आयु वयस्क निवासी नीमझर तहसील देवगढ जिला राजसमंद
6 प्रकाश पुत्र कमला जाति कुम्हार आयु वयस्क निवासी नीमझर तहसील देवगढ जिला राजसमंद
7 पूरणमल पुत्र लछमण जाति कुम्हार (प्रजापति) आयु वयस्क निवासी नीमझर तहसील देगगढ जिला राजसमंद
8 पानी पुत्री कस्तुर जाति कुम्हार आयु वयस्क निवासी नीमझर तहसील देवगढ जिला राजसमंद
9 मांगु पुत्र श्रीराम जाति कुम्हार आयु वयस्क निवासी नीमझर तहसील देवगढ जिला राजसमंद

सहायक कलेक्टर, देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज.)

सहायक कलेक्टर
देवगढ़,जिला-राजसमन्द

10 मोहन पुत्र श्रीराम जाति कुम्हार आयु वयस्क निवासी नीमझर तहसील देवगढ जिला राजसमंद
11 रोशन पुत्र लछमण जाति कुम्हार (प्रजापति) आयु वयस्क निवासी नीमझर तहसील देवगढ जिला राजसमंद
12 लक्ष्मी पत्नि बाबू जाति कुम्हार आयु वयस्क निवासी नीमझर तहसील देवगढ जिला राजसमंद
13 वरदी पत्नि भुरा जाति कुम्हार आयु वयस्क निवासी नीमझर तहसील देवगढ जिला राजसमंद
14 सुखा पुत्र कस्तुर जाति कुम्हार (प्रजापति) आयु वयस्क निवासी नीमझर तहसील देवगढ जिला राजसमंद
15 सुरेश कुमार पुत्र कस्तुर जाति कुम्हार (प्रजापति) आयु वयस्क निवासी नीमझर तहसील देवगढ जिला राजसमंद
16 सीता पत्नि प्रभु जाति कुम्हार (प्रजापति) आयु वयस्क निवासी— नीमझर तहसील देवगढ जिला राजसमंद
17 सीता पत्नि स्व. लछमण जाति कुम्हार (प्रजापति) आयु वयस्क निवासी नीमझर तहसील देवगढ जिला राजसमंद
18 सोहन पुत्र नगजी जाति कुम्हार आयु वयस्क निवासी नीमझर तहसील देवगढ जिला राजसमंद
19 लछमण पुत्र कस्तुर जाति कुम्हार (प्रजापति) आयु वयस्क निवासी नीमझर तहसील देवगढ जिला राजसमंद
20 हगामी पत्नि कस्तुर जाति कुम्हार (प्रजापति) आयु वयस्क निवासी नीमझर तहसील देवगढ जिला राजसमंद

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम

: : निर्णय : :

प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम का प्रस्तुत कर प्रार्थी की ओर से निवेदन किया गया कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि राजस्व ग्राम नीमझर पटवार मण्डल कालेसरिया तहसील देवगढ़ के पुराने खाता

सहायक कलेक्टर, देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज.)

सहायक कलेक्टर
देवगढ,जिला-राजसमन्द

संख्या 138 व नये खाता संख्या 138 के आराजी संख्या 341, 342, 343, 549, 550, 551, 552, 553, 557 कुल किता 09 कुल रकबा 1.6900 हैक्टेयर एवं नवीन खाता संख्या 139 पुराने खाता संख्या 139 के आराजी संख्या 545, 546 कुल किता 02 कुल रकबा 0.6700 हैक्टेयर भूमि स्थित है। उक्त पैरा संख्या एक में वर्णित आराजीयात प्रार्थी एवं विपक्षी संख्या दो से लगायत अठारह की संयुक्त खातेदारी व संयुक्त स्वामित्व आधिपत्य की होकर पुश्तैनी है। इसी प्रकार उक्त पैरा संख्या दो में वर्णित आराजीयात प्रार्थी एवं विपक्षी संख्या चौदह, पन्द्रह, सोलह, उन्नीस एवं बीस की संयुक्त खातेदारी व संयुक्त स्वामित्व आधिपत्य की होकर पुश्तैनी है। प्रार्थी का नाम राधेश्याम प्रजापत पुत्र प्रभु जी जाति कुम्हार (प्रजापति) है प्रार्थी के आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, बैंक पास बुक, राशन कार्ड आदि सभी दस्तावेजो में नाम राधेश्याम प्रजापत पुत्र प्रभु जी ही अंकित है। लेकिन प्रार्थी को घर पर लाड प्यार से श्यामा के नाम से भी पुकारते है इस प्रकार प्रार्थी के दो नाम राधेश्याम प्रजापत एवं श्यामाहै और उक्त दोनों नाम का प्रार्थी एक ही व्यक्ति है अलग–अलग दो व्यक्ति नहीं है लेकिन प्रार्थी के नाम से बने समस्त दस्तावेज में प्रार्थी का नाम राधेश्याम प्रजापत पुत्र प्रभु नाम ही अंकित है श्यामा पुत्र प्रभु के नाम का कोई दस्तावेज नहीं है उक्त नाम तो सिर्फ प्रार्थी को घर पर प्रेम से पुकारते हैं। प्रार्थी के पिता प्रभु के पिता प्रभु के देहान्त के पश्चात् उक्त पैरा संख्या एक व दो में वर्णित भूमि को जो नामान्तरण प्रार्थी एवं उसके भाई विपक्षी संख्या पन्द्रह एवं इनकी माता विपक्षी संख्या सोलह सीता के नाम पर खोला गया उक्त नामान्तरकरण में प्रार्थी का नाम राधेश्याम प्रजापत की बजाय उसके घर पर बोलने वाला नाम श्यामा लिख दिया जो कि मानवीय सामान्य गलती से उक्त त्रुटि हुई है। इसके बाद से राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम श्यामा अंकित है जबकि अन्य समस्त दस्तावेज में प्रार्थी का नाम राधेश्याम प्रजापत अंकित है। उक्त भूमि प्रार्थी के नाम नामान्तरकरण से दर्ज हुई है और मौके पर प्रार्थी विपक्षी संख्या पन्द्रह, सोलह एवं अन्य विपक्षीगण के साथ काबिज होकर उपयोग–उपभोग कर रहा है। केवल मात्र प्रार्थी के पिता प्रभु की मृत्यु के

सहायक कलेक्टर, देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज.)

सहायक कलेक्टर
देवगढ,जिला-राजसमन्द

पश्चात् भूमि का नामान्तरकरण खोला गया उसमें प्रार्थी का नाम घर पर बोलने वाला नाम श्यामा अंकित कर दिया और दस्तावेजी रिकॉर्ड के अनुसार राधेश्याम प्रजापत नाम अंकित नहीं किया गया है। उपरोक्त त्रुटि सहवन से हुई है। प्रार्थी को पूर्व में कभी भी राजस्व रिकॉर्ड की नकले प्राप्त करने की आवश्यकता ही नहीं हुई इसलिए उसे इस त्रुटि की पूर्व में कभी जानकारी नहीं हुई कि उक्त भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम राधेश्याम प्रजापत की बजाय घर पर बोलने वाला नाम श्यामा अंकित है जिसे सुधारा जाना आवश्यक है। राधेश्याम प्रजापत एवं श्यामा उक्त दौनो नाम प्रार्थी के ही है लेकिन प्रार्थी के जो दस्तावेज बने हुऐ है उसमें प्रार्थी का नाम राधेश्याम प्रजापत अंकित है व श्यामा नाम का कोई दस्तावेज नहीं है जिससे प्रार्थी को काफी परेशानीयो का सामना करना पड रहा है। सरकार की और से प्राप्त होने वाली सहायता भी प्रार्थी को उक्त डिफरेन्स की वजह नहीं मिल पा रही है। इसलिए उक्त राजस्व रेकार्ड में सुधार किया जाकर प्रार्थी का नाम श्यामा की बजाय राधेश्याम प्रजापत अंकित किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। उक्त इन्द्राज दुरुस्ती नहीं किये जाने पर प्रार्थी को काफी दिक्कतो का सामना करना पड रहा है। प्रार्थी को भविष्य में होने वाली परेशानी से बचाया जाना व राजस्व रेकार्ड में दुरुस्तीकरण किया जाकर दस्तावेजो के अनुसार नाम अंकित किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। उक्त त्रुटि की जानकारी प्रार्थी को अभी हाल ही में हुई है और जानकारी होते ही प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र आप न्यायालय में समक्ष प्रस्तुत किया जा रह है। अतः माननीय न्यायालय से निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावे व प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या एक व दो में वर्णित आराजीयात के राजस्व रेकार्ड में प्रार्थी का नाम श्यामा पुत्र प्रभु जी अंकित है के बजाय दुरूस्त किया जाकर रेकार्ड अनुसार नाम राधेश्याम प्रजापत पुत्र प्रभु जी जाति कुम्हार (प्रजापति) अंकित कराये जाने का आदेश फरमाया जावे व इस हेतु आवश्यक तहरीर अधिनस्थ राजस्व कर्मचारियो अधिकारियो के नाम जारी फरमाई जावे। कि अन्य दाद जो प्रार्थी के लिए हितकर हो वह भी दिलाई जावे।

सहायक कलेक्टर, देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज.)

सहायक कलेक्टर
देवगढ,जिला-राजसमन्द

इस पर पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थी पैरोकार सरकार को जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 पैरोकार सरकार की ओर से जवाब मय पटवारी हल्का कालेसरिया की जांच रिपोर्ट पेश की गई जवाब में उल्लेखित है कि राजस्व ग्राम नीमझर के वर्तमान जमाबन्दी संवत् 2076 के खाता संख्या 138 में श्यामा पिता प्रभु जाति कुम्हार सा देह दर्ज रिकॉर्ड है। पटवार हल्का कालेसरिया का मौका पर्चा के अनुसार राधेश्याम पिता प्रभु कुम्हार व श्यामा पिता प्रभु एक ही व्यक्ति है। पेन कार्ड, राशनकार्ड, पहचान–पत्र, बैंक पासबुक, आधार कार्ड अनुसार वादी का नाम राधेश्याम पिता प्रभु जाति कुम्हार है। अप्रार्थीगण संख्या 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 10, 11, 13, 14, 16 एवं 17 बावजूद सूचना तामिल के अनुपस्थित रहने से प्रकरण में इसके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा अप्रार्थी संख्या 09, 12, 13, 15, 18, 19 एवं 20 के विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं चाहने से अप्रार्थी संख्या 09, 12, 13, 15, 18, 19 एवं 20 के विरूद्ध कार्यवाही ड्रोप की जाती है।

प्रार्थी अधिवक्ता की एकतरफा बहस सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता ने अपनी बहस में निवेदन किया कि राजस्व ग्राम नीमझर पटवार मण्डल कालेसरिया तहसील देवगढ़ के पुराने खाता संख्या 138 व नये खाता संख्या 138 के आराजी संख्या 341, 342, 343, 549, 550, 551, 552, 553, 557 कुल किता 09 कुल रकबा 1.6900 हैक्टेयर एवं नवीन खाता संख्या 139 पुराने खाता संख्या 139 के आराजी संख्या 545, 546 कुल किता 02 कुल रकबा 0.6700 हैक्टेयर भूमि में प्रार्थी का नाम श्यामा पुत्र प्रभु दर्ज कर दिया गया जो कि अशुद्ध है। प्रार्थी अधिवक्ता ने निवेदन किया कि पेन कार्ड, राशनकार्ड, मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, जनाधार कार्ड में प्रार्थी का नाम राधेश्याम प्रजापत पिता प्रभुलाल है जो की सही है। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा श्रीमती सीता पत्नी लक्ष्मणलाल प्रजापत निवासी नीमझर का शपथ–पत्र प्रस्तुत किया गया। प्रार्थी भूमि पर काबिज होकर उपयोग–उपभोग कर रहे

सहायक कलेक्टर, देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज.)

सहायक कलेक्टर
देवगढ,जिला-राजसमन्द

हैं। राजस्व रिकॉर्ड त्रुटिपूर्ण इन्द्राज को शुद्ध किया जाना न्याय हित में आवश्यक है। दौराने बहस पैरोकार सरकार ने अपने जवाब की ताईद की।

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 में प्रावधान का उद्धरण इस प्रकार हैः–

90[Correction of errors – The land Records Officer may, at any time, correct or cause to be corrected in the prescribed manner any clerical errors and any errors which the parties interested admit to have been made in the record of rights or register, or which a REvenue Officer may notice during the course of his inspection in any Register: Provided that when any error is noticed by a Revenue Officer in any record of rights during the course of his inspection, no error shall be corrected unless a notice to show cause has been given to the parties.]

प्रार्थी अधिवक्ता की एकतरफा बहस पर मनन किया गया प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। पैरोकार सरकार द्वारा पेश जवाब व पटवारी हल्का कालेसरिया की रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र और उसके साथ प्रस्तुत किये गए दस्तावेजों (राशन कार्ड, पेन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, शपथ–पत्र) एवं पैरोकार सरकार के जवाब के आधार पर राजस्व रिकॉर्ड में त्रुटिपूर्ण इन्द्राज को दुरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियिम 1956 के तहत स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम नीमझर पटवार मण्डल कालेसरिया तहसील देवगढ़ के पुराने खाता संख्या 138 व नये खाता संख्या 138 के आराजी संख्या 341, 342, 343, 549, 550, 551, 552, 553, 557 कुल किता 09 कुल रकबा 1.6900

सहायक कलेक्टर, देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज.)

सहायक कलेक्टर
देवगढ़,जिला-राजसमन्द

राधेश्याम बनाम राज्य सरकार व अन्य
प्रकरण संख्याः– 148/2022(प्रा0पत्र)
आदेश दिनांकः–03/01/2025

हैक्टेयर एवं नवीन खाता संख्या 139 पुराने खाता संख्या 139 के आराजी संख्या 545, 546 कुल किता 02 कुल रकबा 0.6700 हैक्टेयर भूमि में प्रार्थी का नाम श्यामा पुत्र प्रभु को हटाकर उसके स्थान पर राधेश्याम प्रजापत पुत्र प्रभु जाति कुम्हार (प्रजापति) राजस्व रिकॉर्ड में जरिये इन्द्राज शुद्धि अंकन किया जावें। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

निर्णय आज दिनांक 03/01/2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावें।

सहायक कलेक्टर
देवगढ,जिला-राजसमन्द

सहायक कलेक्टर, देवगढ़
जिला राजसमन्द (राज.)